



BSNL EMPLOYEES UNION

Main Recognised Representative Union in BSNL

(Regd. under Indian Trade Union Act 1926. Regn.No. 4896)

B.S. RAGHUWANSHI

Circle President

PRAKASH SHARMA

Circle Secretary

No. BSNLEU/MP Circle/CEC/2019-20/1

Dated : 14.08.2019

अधिसूचना

बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन के संविधान की धारा 15(iv) के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना प्रसारित की जाती है कि बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन मध्यप्रदेश परिमंडल की आकस्मिक विस्तारित कार्य समिति की बैठक दिनांक 26 अगस्त 2019 को पी एण्ड टी कम्युनिटी हॉल, भद्रभद्रा रोड, भोपाल में सुबह 10.30 बजे आरम्भ होगी। सीईसी की अध्यक्षता कॉमरेड बी.एस. रघुवंशी, परिमंडल अध्यक्ष करेंगे। मार्गदर्शन हेतु कॉम. पी. अभिमन्यु, महासचिव, BSNLEU, नई दिल्ली उपस्थित रहेंगे। विस्तारित CEC में "BSNL के रिवाइवल में BSNLEU की भूमिका" विषय पर सेमिनार भी होगा।

बैठक के विचारणीय विषय :

1. स्वागत उद्बोधन।
2. अध्यक्षीय उद्बोधन।
3. सचिव मंडल की ओर से प्रस्तुत संक्षिप्त प्रतिवेदन पर चर्चा व निर्णय।
4. निम्नांकित आंदोलनों/आयोजनों की समीक्षा...
 - तीन दिवसीय हड़ताल - 18.2.2019 से 20.2.2019
 - मार्च टू संचार भवन - 05.04.2019
 - सेव BSNL सेव नेशन अभियान 13.04.2019 से 30.04.2019
 - BSNLEU और CCWF द्वारा संयुक्त धरना - 16.07.2019 व 13.08.2019 को मार्च टू लेबर कमिश्नर्स ऑफिस
 - पुणे विस्तारित सीईसी - 29, 30 व 31 जुलाई 2019
 - AUAB और CHQ के अन्य कॉल्स
5. BSNL का रिवाइवल, पीआरसी, पेंशन रिवीजन आदि हेतु किए गए प्रयास।
6. 8वें मेम्बरशिप वेरिफिकेशन हेतु रणनीति।
7. परिमंडल यूनियन के कार्य व गतिविधियां।
8. संगठनात्मक स्थिति।
9. केज्युअल एवं कांटेक्ट वर्कर्स एवं पेंशनर्स के संगठन CCWF एवं AIBPDA व AUAB से समन्वय।
10. प्रस्ताव।
11. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

नोट : इस सीईसी में जिला सचिव, परिमंडल पदाधिकारी, विशेष आमंत्रित सदस्य व परामर्श मंडल के सदस्यों के अलावा ब्रांच सेक्रेटरी व अन्य डेलिगेट भी उपस्थित रहेंगे।

भवदीय,

प्रकाश शर्मा
परिमंडल सचिव

प्रतिलिपि :

1. महासचिव, बीएसएनएलईयू, नई दिल्ली
2. परिमंडल अध्यक्ष, बीएसएनएलईयू
3. मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार, भोपाल
4. महाप्रबंधक WTR/WTP
5. सीई सिविल/इलेक्ट्रिकल, भोपाल
6. सभी जिला सचिव/सीईसी मेंबर्स
7. वरिष्ठ महाप्रबंधक (एच.आर. एवं एडमिन)(कृपया विशेष आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र जारी करें)